सेवा में

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, (सामान्य सेवाएं शाखा)।

अशा0 क्रमांक दिनांक

क्रमांक 185-3 जी0 एस0-II-16/1273

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्षों, आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्ड अधिकारी (सिविल)।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा में

दिनांक चण्डीगढ़, 16 जनवरी, 1976

विषय :—सिविल सेवा में पुनर्नियुक्त मिलटरी पैंशनरज की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु कारण, उनके परिवारों को अनुग्रहपूर्व अनुदान व अन्य सुविधाएं देना।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र, क्रमांक 7260-3 जी0 एस0-II-71/8ε दिनांक 10 जनवरी, 1972 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाने का निदेश हुआ है, जिन के पैरा 2 में यह व्यवस्त की गई थी कि पुनर्नियुक्त पैन्शनरज अनुग्रहपूर्वक अनुदान की स्कीम के अन्तर्गत नहीं आयेंगे। राज्य सरकार ने इस माम पर पुनः विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि सिविल सेवा के दौरान मरने वाले पुनर्नियुक्त मिलटरी पैंशनरज ३ उपरोक्त स्कीम के अन्तर्गत माने जाएंगे।

3. कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,
हस्ता/—
अवर सचिव, न्यायाचार,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति वित्तायुक्त, राजस्व, हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, को सूचना तथा आवश्य कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।